संख्या- 58/2024/882/छप्पन-2024-81/2013

प्रेषक,

अभिनव कुमार चौरसिया,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ; दिनांक: 14 अगस्त, 2024

विषयः आगामी महाकुंभ के लिए परिचालन आवश्यकता को पूरा करने के लिए लिंक टैक्सी-वे के निर्माण के लिए रक्षा भूमि पर भा0वि0प्रा0 को कार्य करने की प्रदत्त अनुमति के क्रम में लीज रेन्ट की धनराशि के भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक स्वकीय पत्र संख्या: 66/आर0सी0एस0-2024-ए-4/2018 दिनांक 12 जून, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 12 जून, 2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि आगामी महाकुंभ के दृष्टिगत परिचालन आवश्यकता को पूरा करने के लिए लिंक टैक्सी-वे निर्माण के लिए रक्षा भूमि पर AAI को कार्य करने की अनुमति रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 10 वर्षों के लिए प्रदान की गयी है और रक्षा संपदा अधिकारी, इलाहाबाद द्वारा 10 वर्षों के लिए लीज रेन्ट की धनराशि रू0 2,81,58,000/- निर्धारित की गयी है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पत्र संख्या- भा0वि0प्रा0/प्रयागराज/भूमि/83-89 दिनांक 14 मई, 2024 द्वारा पूर्व स्वीकृत 01 वर्ष की लीज रेन्ट की धनराशि रू0 28,15,800/- को कम करते हुए 09 वर्षों के लिए अवशेष लीज रेन्ट की धनराशि रू0 2,53,42,200/- की मांग की गयी है। इस सम्बन्ध में एम0ओ0यू0 दिनांक 24 फरवरी, 2014 में निम्नलिखित व्यवस्था है:-

> 1.A.B.(a) The GoUP has agreed in principle to purchase/acquire the land (subject to availability) as per Master Plan prepared by AAI for development, extension, up-gradation and operationalisation of the Civil Enclave at Allahabad, UP, to meet the present and future needs.

उक्त अनुबन्ध की शर्त के अनुसार आगामी महाकुंभ के परिचालन आवश्यकता को पूरा करने के लिए लिंक टैक्सी-वे का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में रक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त की गयी है। लिंक टैक्सी-वे के निर्माण के लिए रक्षा भूमि के 09 वर्ष हेतु पट्टा किराया रू0 2,53,42,200/-का भुगतान किया जाना है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में आगामी महाकुंभ के लिए परिचालन आवश्यकता को पूरा करने के लिए जनपद-प्रयागराज में स्थित भारतीय वायुसेना के एयरपोर्ट पर लिंक टैक्सी-वे के निर्माण के लिए रक्षा भूमि के 09 वर्ष पट्टा किराया रू0 2,53,42,200/- (रू0 दो करोड़ तिरपन लाख बयालीस हज़ार दो सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि जिलाधिकारी, प्रयागराज के निवर्तन पर रखे जाने हेतु अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जाएगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(9) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा।

(10) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(11) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 2,53,42,200/- (रू0 दो करोड़ तिरपन लाख बयालीस हज़ार दो सौ मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, प्रयागराज के निर्वतन पर रखी जायेगी और जिलाधिकारी, प्रयागराज द्वारा धनराशि को रक्षा संपदा अधिकारी, इलाहाबाद के खाते में जमा कराया जाएगा।

5- प्रश्नगत धनराशि वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-38 के अधीन पूंजी लेखा लेखाशीर्ष ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-60-भूमि क्रय'' से वहन की जाएगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: ई-7-67-दस-2024-25, दिनांक 08 अगस्त, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

संख्या- 58/2024/882(1)/छप्पन-2024, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
4- आयुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
5- अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गाँधी भवन, सफदरजंग, नई दिल्ली।
6- जिलाधिकारी, प्रयागराज।
7- विमानपत्तन निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बमरौली, प्रयागराज।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/राजस्व अनुभाग-13.
10- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in